कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

संख्याः 66 /21–एल0बी0सी0/2021 दिनांक 28 जून, 2021

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–718/नौ–8–2019–02/डी0डी0यू0(बजट)/2020 दिनांक 31.03.2021 के क्रम में नगर पंचायत, न्योतनी जनपद उन्नाव में वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु चयनित पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं अधिकतम जन उपयोगी अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यो को सम्मिलित कर सुव्यवस्थित रूप से विकसित किये जाने एवं उनके समेकित विकास हेतु कार्ययोजना/डीपीआर तैयार करने व परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण हेतु एक अनुभवी आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर जिसे कम से कम 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो, का चयन किया जाना है। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी से प्रस्ताव/आवेदन पत्र भुगतान की दर सहित **दिनांक 09.07.2021 तक जेम के माध्यम से** आमन्त्रित किये जाते हैं। आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। चयनित आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण भी किया जायेगा। कार्ययोजना/डीपीआर तैयार करने व परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण हेतु परियोजना मूल्य का अधिकतम 02 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जायेगा, जो परियोजना मूल्य में सम्मिलित रहेगा। केवल उन्ही आवेदन पत्रों/प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, जो निम्न अर्हता/योग्यता पूरी करते हैं:–

1– आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के पास विधिक अर्हता तथा Council of Architecture में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

2– बहुआयामी परियोजनाओं (सरकारी/गैर सरकारी) में कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

3– आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को पैन धारक होना अनिवार्य है।

4– आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को उक्त हेतु बुलाये जाने पर स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है ।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
उन्नाव।